

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
पत्रांक—3250 / मीरजापुर / दिनांक मीरजापुर फरवरी 19 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय— ओबरा—सी बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर—ओबरा पारेषण लाइन निर्माण हेतु मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.879 हे0 आरक्षित एवं सरंक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोठ में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोठों के पातन के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव।

सन्दर्भ— ओबरा—सी बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड का पत्र संख्या—OCBTL/F&WI/40 दिनांक 16.02.2020।

महोदय,

ओबरा—सी बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर—ओबरा पारेषण लाइन निर्माण हेतु मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.879 हे0 आरक्षित एवं सरंक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोठ में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोठों के पातन के सम्बन्ध में अनुमति प्रस्ताव संख्या—FP/UP/TRANS/40906/2019 के सम्बन्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्तावक संस्था ने पत्र संख्या—OCBTL/F&WI/40 दिनांक 16.02.2020 द्वारा आपत्ति का निवारण कर प्रस्ताव की 05 प्रति में उपलब्ध कराया गया है।

जिसे इस कार्यालय के परीक्षणोपरान्त भाग—2 से सम्बन्धित विवरण पूर्ण कर अपेक्षित सूचनाओं/संलग्नकों सहित भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के गाईड लाइन के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर संस्तुति सहित 04 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

५:

(राकेश चौधरी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या

अ / समदिनांक

प्रतिलिपि जनरल मैनेजर, ओबरा—सी, बदायूँ ट्रांसमिशन लिमिटेड, मकान न0-116, ग्रीन पार्क कालोनी, बिसालपुर रोड, बरेली -243006 उत्तर प्रदेश को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राकेश चौधरी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर